भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 704

25 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"ईवी निर्माताओं के लिए पीएलआई योजना"

704. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आज की तारीख तक संवितरित अथवा उपयोग की गई कुल धनराशि सहित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करेगी;

(ख) पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों के लिए अर्हता प्राप्त करने में किसी फर्म की विफलता के विशिष्ट कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएलआई योजना के अंतर्गत योग्य फर्मों के चयन और प्रोत्साहनों के संवितरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं या पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए पीएलआई योजना के मानदण्डों अथवा दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग संबंधी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत उन्नत ऑटोमोबिल प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) एएटी उत्पादों में से एक है। अनुमोदित आवेदकों से प्राप्त सूचनानुसार इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 तक 8,898 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। किंतु, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए कोई राशि संवितरित नहीं की गई है।

(ख): कंपनियाँ निवेश करने और अपने उत्पादों को भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों से प्रमाणित कराने की प्रक्रिया में हैं। प्रमाणन पश्चात्, कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अवसीमा निवेश और पात्र उत्पादों की अवसीमा बिक्री संबंधी मानदंड को पूरा करने के बाद अपने दावों को प्रस्तुत करें।

(ग): जी, हाँ। पीएलआई-ऑटो स्कीम के अंतर्गत आवेदकों का चयन मार्च,2022 तक पूरा कर लिया गया था। कंपनियाँ निवेश करने और अपने उत्पादों को भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों से प्रमाणित कराने की प्रक्रिया में हैं। प्रमाणन के बाद, कंपनियों से अपेक्षित है कि वे निर्धारित अवसीमा निवेश और पात्र उत्पादों की अवसीमा बिक्री के मानदंड को पूरा करने के पश्चात् अपने दावों को प्रस्तुत करें।

(घ): जी, हाँ। इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत सभी अनुमोदित आवेदकों के साथ व्यापक हितधारक परामर्शों के आधार पर, आवेदकों की चिंताओं का निवारण करने और ऑटो उद्योग में घरेलू विनिर्माण तथा रोज़गार सृजन का संवर्धन करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

***